


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

अशोक कुमार बनाम एस डी ओ चौमू व अन्य

केस संख्या 72/2020 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
05.07.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक सुराणा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2020 व उनवानी मन्दिर श्री सूरज बनाम अशोक कुमार व अन्य मय स्थगन प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी चौमू के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक सुराणा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्यर से कम हो।</p>	


5/7/21
(अनुर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर